17

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 106/2023

दायर दिनांक–24.07.2023

1 राधेश्याम पुत्र फुलाराम उर्फ फूलचंद जाति ब्राहम्ण निवासी बाय तहसील नवलगढ़।

– वादी

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र फूलाराम उर्फ फूलचंद
2. मुरारीलाल पुत्र फुलाराम उर्फ फूलचंद
3. श्यामसुन्दर पुत्र फुलाराम उर्फ फूलचंद
4. अनिता पुत्री फुलाराम उर्फ फूलचंद
5. द्रोपती देवी पुत्री फुलाराम उर्फ फूलचंद
6. मुन्नी पुत्री फुलाराम उर्फ फूलचंद
7. सुनिता पुत्री फुलाराम उर्फ फूलचंद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. तुलसा पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री अशोक कुमार जांगिड़**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत इश्तकरार हक,
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम भानपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.2700 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज स्व0 फुलाराम की खोतदारी काश्त की भूमि रही है। जिसमें किसी अन्य का कोई ताल्लुक नही है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने मनमर्जी मुताबिक गलत रूप से तुलसा पुत्र हनुमान के दर्ज कर दी जबकि तुलसा नाम का कोई व्यक्ति स्व0 हनुमान के नही था ना ही कोई तुलसा पुत्र हनुमान नाम का व्यक्ति ग्राम बाय में हुआ है। ना ही तुलसा पुत्र हुनमान का कभी कब्जा काश्त रहा है। केवल राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण तुलसा पुत्र हनुमान का नाम वादी के पिता फूलाराम के साथ लिखा जाने से राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। वादी के पिता फूलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। अतः फूला के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु 1/2 हिस्सा मे गलत रू॰ से तुलसा का नाम दर्ज चला आ रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को बराबर–बराबर हिस्सा के खातेदार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज तुलसा पुत्र हनुमान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी राधेश्का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–2 लगायत 10 नकल जमाबंदीयां प्रदर्श–11 कार्यालय ग्राम पंचायत बाय का प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 पूर्व सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 08 तुलसा पुत्र हनुमान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 08 प्रतिवादी संख्या 08 तुलसा पुत्र हनुमान के संबंध मे तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तुलसा पुत्र हुनमान नाम का व्यक्ति ग्राम बाय मे निवास नही करता है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रिक संपति है जिसका राजस्व रिकॉर्ड पूर्व से स्व0 फूलाराम के नाम दर्ज था जिसके विधिक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

वारिसान वाद व प्रतिवादी संख्या 07 है। अतः प्रतिवादी संख्या 08 तुलसा पुत्र हनुमान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भानपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.2700 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज तुलसा पुत्र हनुमान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 106/2023 **(राधेश्याम बनाम नेमीचंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भानपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1.2700 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से दर्ज तुलसा पुत्र हनुमान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

28/06/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00